उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-03/2022/133/92-2-2022-10जांच/2017

लखनऊ :: दिनांक:: 28 फरवरी 2022

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-फिरोजाबाद में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कराये गये निर्माण कार्यो की महालेखाकार की सम्प्रेक्षा दल द्वारा दिनांक 22.02.2016 से 27.02.2016 तक किये गये आडिट में परिलक्षित रू0 15,62,108.00 का अधिक व्यय करने की अनियमितता के क्रम में अधीक्षण अभियंता के पद के दायित्वों के प्रति सजग न रहने, अपने अधीनस्थो कार्यो व कार्मिको का नियंत्रण न रखने, उच्चाधिकारियो के अधिकारो का अतिक्रमण करने, उ0प्र0 शासन द्वारा परिचालित दिशा निर्देशो के अनुरूप कार्य न करने आदि अनियमितताओं में प्रथम दृष्ट्या उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-130/2017/1280/92-2-17-10जॉच/2017 दिनांक 26.07.2017 द्वारा श्री रूपेश कुमार वर्मा, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-आगरा को आरोप पत्र देते हुये उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। जॉच अधिकारी/मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-1016/ ग्रा0अ0वि0/अनु0जां0-आ0लि0-आगरा/17-18 दिनांक 31.01.2018 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। उक्त जॉच आख्या में श्री रूपेश कुमार वर्मा पर अधिरोपित कुल 03 आरोपो में से आरोप संख्या-1 व 3 पूर्णरूप से स्थापित बताया गया तथा आरोप संख्या-2 आंशिक रूप से स्थापित पाये जाने पर शासन के पत्र संख्या-302/92-2-18-10जांच/2017 दिनांक 21.02.2018 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-9 (4) के अंतर्गत अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 02.07.2018 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

2- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जॉच आख्या, अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखो के सम्यक परीक्षणोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-147/ 18/1840/9252-2018-10जांच/2017 दिनांक 26.10.2018 द्वारा श्री रूपेश कुमार वर्मा, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-आगरा सम्प्रति परिमण्डल-देवी पाटन मण्डल गोण्डा की "सत्यनिष्ठा" संदिग्ध करते हुये "परिनिन्दा" का दण्ड देते हुये अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त कर दी गयी।

3- शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26.10.2018 द्वारा निर्गत दण्डादेश के विरूद्ध अपचारी अधिकारी, श्री रूपेश कुमार वर्मा, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता के पत्र संख्या-57/ग्रा0अ0वि0/जबाव/ 2020-21 दिनांक 14.05.2020 द्वारा अपना प्रत्यावेदन शासन में प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रत्यावेदन में श्री रूपेश कुमार वर्मा द्वारा लगभग उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है जिन्हे जॉच अधिकारी को दिये गये बचाव उत्तर व शासन में उपलब्ध कराये गये अभ्यावेदन में किया गया था। प्रत्यावेदन में किसी नवीन तथ्य का उल्लेख नहीं किये जाने के दृष्टिगत शासन के दण्डादेश दिनांक 26.10.2018 के विरूद्ध अपचारी अधिकारी श्री रूपेश कुमार वर्मा, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-आगरा सम्प्रति परिमण्डल-लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रत्यावेदन दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

14.05.2020 को बलहीन पाते हुये शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-93/2020/70प्र0स0/92-2-20-10जांच/ 2017 दिनांक 17.07.2020 द्वारा निरस्त करते हुये निस्तारित किया गया।

4- अपचारी अधिकारी, श्री रूपेश कुमार वर्मा, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-आगरा सम्प्रति परिमण्डल-लखनऊ द्वारा श्री राज्यपाल महोदय के माध्यम से प्रस्तुत पुनर्विचार प्रत्यावेदन दिनांक 16.08.2021 के साथ उपलब्ध कराये गये अभिलेखो/साक्ष्यो के सम्यक परीक्षणोपरान्त पाया गया कि श्री रूपेश कुमार वर्मा द्वारा प्रकरण की गम्भीरता/जटिलता के क्रम में श्री संजय अग्रवाल, अधिशासी अभियंता के विरूद्ध आरोप पत्र निदेशक एवं मुख्य अभियंता को प्रेषित करते हुये प्रकरण को उच्च स्तर पर संज्ञानित कराया गया तथा कार्य की गुणवत्ता एवं नियंत्रण बनाये रखने के उददेश्य से ही अवर अभियंता/सहायक अभियंता को निन्दा प्रविष्टि दी गयी थी। प्रकरण में किसी प्रकार की शासकीय क्षति निहित नही होने के दृष्टिगत श्री रूपेश कुमार वर्मा, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-आगरा सम्प्रति परिमण्डल-लखनऊ के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-147/18/1840/9252-2018-10 जांच/2017 दिनांक 26.10.2018 द्वारा निर्गत मात्र "परिनिन्दा" के दण्डादेश को समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या- 03/2022/133(1)/92-2-2022 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- श्री रूपेश कुमार वर्मा, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, परिमण्डल-आगरा सम्प्रति परिमण्डल-लखनऊ द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनूप कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in